

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्या:- /एम0सी0-2023/ई0सी0-1/संविदा-विज्ञप्ति

दिनांक: 29-अगस्त-2023

विज्ञप्ति

इस कार्यालय से निर्गत विज्ञापित आदेश संख्या:- 3354/एम0सी0-2023/ई0सी0-1/संविदा-विज्ञप्ति दिनांक 27-अगस्त-2023 के क्रम में महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी में पी0जी0 सीटों की वृद्धि किये जाने/नेशनल मेडिकल कमिशन के मानकों की पूर्ति के दृष्टिगत चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूरा करने हेतु निम्न रिक्त (Vacant) पदों पर संविदा तैनाती हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 28-सितम्बर-2023 तक प्रधानाचार्य कार्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी में केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं।

S. No.	Department (Specialty)	Professor					Associate Professor					Assistant Professor				
		UR	OBC	SC	ST	EWS	UR	OBC	SC	ST	EWS	UR	OBC	SC	ST	EWS
1	आर्थोपेडिक्स	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ऑपथैल्मोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ऑब्स एण्ड गायनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	एनॉटामी	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
6	एनेस्थीसियोलॉजी	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	2	1	-
7	ऑटो-राईनो-लैरिंगोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	कम्युनिटी मेडिसिन	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-
9	कार्डियोलॉजी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	जनरल मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
11	जनरल सर्जरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेसपिरेटरी मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	डरमेटोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	डेंटिस्ट्री	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	न्यूरोलॉजी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	न्यूरो सर्जरी	1	-	1T	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
17	नेफ्रोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
18	प्लास्टिक सर्जरी	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19	पीडियाट्रिक्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20	पैथोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	फार्माकोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	फिजियोलॉजी	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
23	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
24	बायोकेमिस्ट्री	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	यूरोलॉजी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
27	रेडियोलॉजिस्ट्स	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
28	रेडियोथेरेपी	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
29	साइकियेट्री	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल पद		07	03	04	00	02	04	04	05	01	01	07	09	04	01	04
		16					15					25				

T=Trauma Center,

- जिन अभ्यर्थी के फर्म चयनित कर लिये जायेगे, उन अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तिथि एवं समय ई-मेल के माध्यम एवं वेब-साईट के द्वारा सूचित कर दिया जायेगा। साक्षात्कार उपरान्त रिक्त पदों (पदों की सूचना वेब साईट के माध्यम से सूचित कर दी जायेगी।) पर walk-in-interview प्रतिदिन अगली विज्ञप्ति जारी होने तक अपरान्ह 12:30 से जारी रहेंगे। जिसके लिये आवेदन किसी भी माध्यम से प्रेषित किये जा सकते हैं। तालिका में दर्शाये गये पदों की संख्या अनिवार्य सेवा के तहत चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में संशोधन किया जा सकता जिसकी सूचना वेब साईट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

2. यूरोलॉजी/न्यूरो सर्जरी/डेन्टिस्ट्री/कार्डियोलॉजी विभाग में पदों चयनित होने के अभियार्थी को वर्तमान भरे पदों के कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
3. नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षको को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवारत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
4. शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71-1-18-जी-63/2018, दिनांक 21-11-2019 के अनुसार संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों को (आचार्य-1,35,000-00, सह आचार्य-1,20,000-00 एवं सहायक आचार्य-90,000-00 नियत वेतन प्रतिमाह) देय होगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें शासन द्वारा समय समय पर पूर्व में निर्गत भिन्न-भिन्न शासनादेशानुसार होगी।
5. आवेदक को नेशनल मेडिकल कमीशन के समय-समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना होगा।
6. सुपर स्पेशलिटी विशिष्टताओं में सृजित आचार्य एवं सह आचार्य के रिक्त पदों के चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर उक्त रिक्त पदों के सापेक्ष सहायक आचार्य के रूप में भरे जायेंगे।
7. आयु सीमा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ के निर्गत शासनादेश संख्या:- 562/71-1-2020-जी0-63/2008 लखनऊ दिनांक 10-जून-2020 के द्वारा निर्धारित शर्तें मान्य होगी। संविदा पर नियुक्ति हेतु चिकित्सा शिक्षको की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के माह जुलाई, 2023 के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
8. संविदा चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होंगे।
9. अनिवार्य सेवा के तहत या नियमित अभियार्थी उपलब्ध होने के दृष्टिगत पदों की संख्या घट बढ़ सकती है एवं तदनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
10. साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। सभी प्रकार का अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन का होगा।
11. शासनादेश संख्या 6/2019/4/1/2022/का-2/19टी.सी0-1 दिनांक 23-10-2019 के अनुसार सम्बन्धित विशिष्टता में अनारक्षित कॉलम में दर्शाये गये ईडब्लूएस0 के पदों का आर्थिक रूप से कमजोर (ई0डब्लूएस0) वर्ग का अर्ह अभ्यार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त पदों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों द्वारा भरा जायेगा।
12. शासनादेश संख्या 119/2018/2842/71-2-2018-33/2018 दिनांक 20-09-2018 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई) के अन्तर्गत सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के संचालन हेतु प्राविधानित सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य (कंसलटेन्ट) के रूप में पुर्नयोजित एक मुस्त रूपये 2,20,000-00 का मासिक पारिश्रामिक प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें उक्त शासनादेश दिनांक 20-09-2018 के अनुसार होगी।
13. आवेदकों को स्पष्ट सूचित किया जाता है कि, विज्ञप्ति के साथ संलग्न फर्म को सम्बन्धित अभिलेखों सहित केवल पंजिकृत डाक से प्रेषित फार्म को मान होगा। अपूर्ण यह गलत पद के लिये भरे गये आवेदन फर्म निरस्त कर दिये जायेंगे।
14. यदि किसी संस्थान में सेवायोजित है तो साक्षात्कार हेतु सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त इस आशय का रू 10-00 (रुपाये दस मात्र) के स्टाम्प पेपर पर फोटो सहित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और न ही लम्बित है एवं किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदरुयुत न किए जाने या न हटाये गया हो। यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है अथवा कोई सूचना अस्तित्व पायी जाती है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
15. आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर/शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी0सी0-1 दिनांक 13-08-2019 का अनुपालन मान्य होगा।

संलग्नक:- आवेदन पत्र।

प्रधानाचार्य
चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्या:- 3422/एम0सी0-2023/ई0सी0-1/संविदा-विज्ञप्ति तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
4. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया संस्थान, लखनऊ/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/जी0आई0एस0एस0, ग्रेटर नोएडा।
5. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी को इस आदेश के साथ कि कालेज की वेब साइट पर उपरोक्त सूचना तत्काल अपलोड कराने के साथ कृत्य कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
7. साक्षात्कार समिति के सदस्य चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।
9. अशुलिपिक (प्रधानाचार्य), चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।
10. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

प्रधानाचार्य
चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

Principal
M.L.B. Medical College
JHANSI


To DVS Technology

Application form for applying for the post of Assistant Professor/Associate Professor/Professor on contract basis advertised in Maharani Laxmi Bai Medical College, Jhansi through ref. no. 3422 / एम०सी०-2023 / ई०सी०-1 / संविदा-विज्ञप्ति
दिनांक 29-अगस्त-2023 (Only by Registered Post)

1. Name of Candidate:- _____
2. Father/Husband:- _____
3. Date of Birth (As per 10th Certificate Xerox enclosed) _____
4. Category (Certificate enclosed) :- _____
5. Applied for the post in specialty :- _____
6. Permanent Address:- _____

7. Corresponding Address:- _____

8. Mobile No.:- _____
9. E-mail ID.:- _____
10. Aadhar No.:- _____
11. Qualification :-



S. No.	Degree	Subject	Marks & %age	Passing Year	College Name	University	UP MCI Rg. No.	Annexure No.
1	MBBS	----						
2	MS / MD							
3	DM / M.Ch.							

12. Work Experience:-

S. No.	Post	Tenure			Department	College Name	University	Annexure No.
		From	To	Total				
1	Senior Resident							
2	Assistant Professor							
3	Associate Professor							
4	Professor							
4	Other							

13. No. Publication with enclosed copy with proof of indexing:- _____
Application will be rejected if proof of indexing is not submitted.
(Published in journals indexed in Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered)

14. No objection certificate in case of working annexure no.:- _____

15. Affidavit mentioned in advertisement point no.:- 14 annexure no.:- _____

Certificate

I Dr. _____ certified that above mentioned information is true in my knowledge. If any information is found wrong my application will rejected/disqualified and I will have no objection over it. In case of currently working I will submit the reliving order in case of selection on the time of joining.

Enclosed:- Above mentioned annexure

Signature:-

Name:- _____

Address: _____

